

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग


क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2018

जयपुर, दिनांक : 26.12.2018

आदेश


डा. देवेश नारायण शर्मा, वरिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन), राजकीय डिस्पेन्सरी, राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर का बकाया एवं आगामी वेतन उपस्थिति के आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम के अधीन उपलब्ध रिक्त पद से आहरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(पारस चन्द जैन)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 2- निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर।
- 3- रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर
- 4- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन, जयपुर
- 5- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम
- 6- डा. देवेश नारायण शर्मा, वरिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन), राजकीय डिस्पेन्सरी, राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर
- 7- रक्षित पत्रावली

  
(ओ. पी. वर्मा)  
शासन सहायक सचिव